



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक

निगरानी-497-I-15

सन् 2015

प्रदीप श्रीवास्तव 150

11-3-15

1. फिरंगी तनय कामता अहिरवार

11-3-15

2. बाला तनय कामता अहिरवार

निवासी ग्राम पाय, तहसील राजनगर

जिला - छतरपुर म0प्र0

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. जगदीश तनय मनीराम पटेल

2. अच्छेलाल तनय भवानीदीन बढई

3. मंजू पटेल तनय रामसिंह पटेल

निवासीगण ग्राम - पाय, तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0

..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार राजनगर के

प्रकरण क्र0 05/अ-12/2013-14 में पारित आदेश

दिनांक 20.11.2014 से दुखी होकर निगरानी अन्तर्गत

धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं :-

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पाय स्थित भूमि खसरा नं0 800 रकवा 12.74 एकड़ भूमि वर्ष 1963 में निगरानीकर्तागण के पिता श्री कामता अहिरवार द्वारा किशोर सिंह, राजाभैया पुत्रगण महाराज सिंह से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मुबलिग 300/- रुपये में क्रय की थी और क्रय दिनांक से ही निगरानीकर्तागण उक्त भूमि पर काबिजकाशत है किन्तु आवेदक गैरनिगरानीकर्ता क्र0 01 ने भूमि खसरा नं0 800/2/1 रकवा 2.046 हे0 भूमि का गोपनीय ढंग से बगैर सरहदी कृषकों को पक्षकार बनाये दिनांक 05.11.2013 को सीमांकन कार्यवाही करायी है जिसमें आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य

क्रमशः //2//

426

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-497-एक/2015

जिला-छतरपुर

फिरंगी व अन्य विरुद्ध जगदीश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अथवा अभिभाषक हस्ताक्षर
27-03-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-11-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अभिलेख न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	<p style="text-align: center;">(आर.डी.सिन्हा) 2019 सक्षम</p>